बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक–19/08/2025

संख्या–6/एन0–07–35/2010 (अंश)–1005(6)/ भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) संवर्ग नियमावली, 2025 में निम्नलिखित संशोधन करने के लिए "बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2025 बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–

(i) यह नियमावली "बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2025" कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह 16.11.2018 के प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. "बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) संवर्ग नियमावली, 2025" के नियम–22(ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:–

"ऐसा निरसन के होते हुए भी किया गया कोई भी कार्य या पारित कोई भी आदेश जो अंतिम रूप ले चुका है, जिसके परिणामस्वरूप निहित अधिकारों का सृजन हुआ है वर्तमान नियमों के तहत किया गया माना जायेगा।

परन्तु, नियमावली के इस संशोधन से पूर्व या पश्चात, 2023 नियमावली के अधीन तथा 28.07.2022 को प्रारंभ चयन प्रक्रिया के अनुसरण में की गई कोई भी नियुक्ति प्रभावित नहीं होगी और इस नियमावली के अधीन की गई नियुक्ति मानी जाएगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

19/8/2025

ज्ञापांकः– 6/एन0–07–35/2010 (अंश)–1005(6) पटना, दिनांकः– 19 /08 /2025

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग/ प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद, पटना को सभा/परिषद के पटल पर रखने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (नर्सिंग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

19/8/25